वित्त निर्देश 30/2014

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त एवं योजना विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन - नया रायपुर

क्रमांक 211/एल-2014-71-00165/वि/नि/चार   नया रायपुर, दिनांक 12 मई, 2014

प्रति,

शासन के समस्त विभाग
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, बिलासपुर,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त कलेक्टर,
छत्तीसगढ़

विषयः- शासकीय सेवकों की सेवानिवृत्ति पर अर्जित अवकाश के नगद भुगतान की पात्रता की गणना ।

संदर्भः- वित्त विभाग का ज्ञापन क्रमांक 50/1815/90/नि-6/चार, दिनांक 08 जनवरी 1991, एवं ज्ञाप क्रमांक जी-3/2/96/सी/चार, दिनांक 29 फरवरी 1996.

वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक 50/1815/90/नि-6/चार, दिनांक 08 जनवरी 1991 में सेवानिवृत्ति कर्मचारियों को अवकाश के नगदीकरण की गणना के लिए दिनांक 09.03.1987 तक 12 माह के अंतर पर 15 दिन तथा 24 माह के अंतर पर 30 दिन के हिसाब से एवं दिनांक 10.03.1987 से 01 वर्ष की अवधि पूर्ण होने पर 7 दिन अथवा 2 वर्ष की अवधि पूर्ण होने पर 15 दिन के हिसाब से अर्जित अवकाश के नगदीकरण की पात्रता संबंधी गणना किये जाने तथा ज्ञापन क्रमांक जी-3/2/96/सी/चार, दिनांक 29 फरवरी 1996 में दिनांक 10.03.1987 के पूर्व एवं पश्चात् खण्ड माहों की सम्मिलित अवधियाँ यदि एक वर्ष हो जाती है, तो दिनांक 10.03.1987 के पश्चात् समर्पण अवकाश की पात्रता के निर्धारण में उसे जोड़कर एक वर्ष माने जाने के निर्देश है ।

2/ संदर्भित ज्ञापन दिनांक 29 फरवरी 1996 के बिन्दु क्रमांक-2 पर अंकित अनुसार सेवानिवृत्ति पर अर्जित अवकाश समर्पण की पात्रता की गणना के उदाहरण ''अ'' एवं ''ब'' अनुसार दिनांक 10.03.1987 के पश्चात् की सेवाअवधि के लिए 7 दिवस प्रतिवर्ष की दर से पात्रता की गणना की गयी है ।

3/ संचालनालय कोष लेखा एवं पेंशन छत्तीसगढ़ द्वारा राज्य शासन के ध्यान में लाया गया है कि संदर्भित ज्ञापन दिनांक 8.01.1991 के अनुसार 10.03.1987 से 1 वर्ष की अवधि पूर्ण होने पर 7 दिन अथवा 2 वर्ष की अवधि पूर्ण होने पर 15 दिन के हिसाब से सेवानिवृत्ति पर अर्जित अवकाश के नगदीकरण की पात्रता होती है, किन्तु ज्ञापन दिनांक 29.02.1996 के उदाहरण के तारतम्य में दिनांक 10.03.1987 के पश्चात् की संपूर्ण अवधि के लिए प्रतिवर्ष 7 दिवस की दर से गणना कर पात्रता निर्धारित की जा रही है, जिससे अवकाश के नगदीकरण में कमी होने की स्थिति बन रही है ।

4/ अत: स्पष्ट किया जाता है कि दिनांक 10.03.1987 के पश्चात् की संपूर्ण सेवाअवधि के लिए प्रथमत: दो वर्ष के कालखण्ड पर 15 दिवस की दर से एवं शेष अवधि के लिए 7 दिवस प्रतिवर्ष की दर से अर्जित अवकाश (समर्पित अवकाश) की पात्रता की गणना की जाए । उदाहरणार्थ:-

स.क्र.	विवरण	उदाहरण ''अ''	उदाहरण ''ब''
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	नियुक्ति दिनांक	10.04.1957	15.06.1963
2.	सेवानिवृत्ति	30.06.1994	30.11.1995
3.	नियुक्ति दिनांक से दिनांक 9.3.1987	29 वर्ष 11 माह	23 वर्ष 8 माह 25 दिन
4.	दिनांक 10.3.1987 से सेवानिवृत्ति दिनांक तक कुल सेवा अवधि	7 वर्ष 3 माह 22 दिन	8 वर्ष 8 माह 22 दिन
5.	कालम (3) में अंकित अवधि हेतु समर्पण अवकाश की पात्रता (एक वर्ष में 15 दिन की दर से)	29X15=435 दिन	23 X =345 दिन
6.	कालम-4 में अंकित अवधि हेतु समर्पण अवकाश की पात्रता (प्रत्येक दो वर्ष में 15 दिन एवं खण्ड वर्ष में 7 दिन की दर से)	8 वर्ष 4X15=60 दिन (प्रत्येक दो वर्ष में 15 दिन के मान से)	9 वर्ष 4 X 15=60 1X7=7 67 दिन (प्रत्येक दो वर्ष में 15 दिन के मान से) खण्ड वर्ष के लिए 7 दिन के मान से
टीप:-कालम (3) एवं (4) के खण्ड माह की अवधि यदि एक वर्ष पूर्ण है तो सम्मिलित करते हुए			
7.	कुल अर्जित अवकाश समर्पण की पात्रता	495 दिन	412 दिन
8.	घटाईये-सेवा के दौरान अवकाश समर्पण का लाभ	232 दिन	208 दिन
9.	सेवानिवृत्ति पर अर्जित अवकाश समर्पण की पात्रता	263 दिन	204 दिन

टीपः– उदाहरण क्रमांक ''अ'' के कालम (9) में अंकित 263 दिन की अवधि 240 दिन से अधिक है, अतः कर्मचारी को 240 दिन अथवा उतने दिनों के अर्जित अवकाश का नगद भुगतान देय होगा जो सेवानिवृत्ति की तिथि को उसके अवकाश खाते मे जमा हो ।

क्रमांक–2 उदाहरण क्रमांक ''ब'' के कालम (9) में अंकित 204 दिन की अवधि के अर्जित अवकाश की समर्पण की पात्रता है, यदि कर्मचारी के लेखे में इससे अधिक अर्जित अवकाश जमा है, तो 204 दिन ही समर्पण की पात्रता है एवं इससे कम अर्जित अवकाश जमा है तो उतने ही दिनों के अर्जित अवकाश का नगद भुगतान देय होगा ।

यह आदेश जारी होने की तिथि से प्रभावशील होंगे । पूर्व में अन्यथा निपटाएं गए प्रकरणों को पुनः नही खोला जाएगा ।

(एस.के.चक्रवर्ती)
संयुक्त सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग

पृ.क्र. 212/एल-2014-71-00165/वि/नि/चार नया रायपुर, दिनांक 12 मई, 2014

प्रतिलिपिः-

1. राज्यपाल के सचिव, राजभवन, रायपुर ।
2. सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय ।
3. सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, नया रायपुर ।
4. रजिस्ट्रार जनरल/महाधिवक्ता/उपमहाधिवक्ता, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर।
5. सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग/मानवाधिकार आयोग/राज्य निर्वाचन आयोग/लोक आयोग, रायपुर ।
6. निज सचिव/निज सहायक, मंत्री/राज्यमंत्री, छत्तीसगढ़, नया रायपुर ।
7. महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर ।
8. मुख्य सचिव के स्टाफ आफीसर, मंत्रालय, नया रायपुर ।
9. प्रमुख सचिव वित्त के स्टाफ आफीसर, मंत्रालय, नया रायपुर ।
10. आयुक्त जनसंपर्क संचालनालय, रायपुर ।
11. आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली ।
12. राज्य सूचना आयुक्त, निर्मल छाया भवन, शंकर नगर, रायपुर ।
13. समस्त सचिव/विशेष सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव/अवर सचिव एवं समस्त शाखा, वित्त विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर ।
14. आयुक्त, कोष,लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़, नया रायपुर ।
15. मुख्य लेखाधिकारी, मंत्रालय, नया रायपुर ।
16. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष,लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़ ।
17. समस्त कोषालय अधिकारी, जिला/सिटी कोषालय, छत्तीसगढ़ ।
18. समस्त प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, रायपुर/बिलासपुर, छत्तीसगढ़ ।
19. संचालक, शासकीय लेखन सामग्री एवं मुद्रण, रायपुर ।
20. समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ, छत्तीसगढ़ ।
21. संचालक, वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली, नया रायपुर को वित्त विभाग की बेबसाइट www.cgfinance.nic.in में अपलोड करने हेतु ।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

(आलोक राय)
विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी
वित्त विभाग